न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण संख्या - 14/2022 दायर दिनांक - 21.01.2022

सीसीएमएस नं. 2022/31

धान सिंह पुत्र भरोसी उर्फ रामजीलाल उम्र-45 साल जाति मीना निवासी कोटरी तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राज.

—————सायल

बनाम

1. कमला पत्नि हरिराम उम्र 50 साल जाति मीना निवासी करकड़ तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राज.
2. सब रजिस्ट्रार उप पंजीयक कार्यालय हिण्डौन सिटी।
3. तहसीलदार हिण्डौन सिटी।

—गैरसायलान—03

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित –1.श्री पी एल गोयल सायलान

2. गैरसायलान 1 ता 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय दिनांक

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 60 रकबा 12 ऐयर, 70 रकबा 21 ऐयर, 71 रकबा 24 ऐयर, 82 रकबा 21 ऐयर कुल किता 4 कुल रकबा 78 ऐयर वाके ग्राम कोटरी तहसील हिण्डौन में स्थित है।

गोविन्द राम व सायल के पिता भरोसी आपस में भाई रहे है तथा गोविन्दराम सायल का ताउ रहा है तथा सायल का पिता भरोसी व गोविन्द शामिल में रहते थे तथा आराजी मुतजिक्रा मद नम्बर 02 प्रार्थना पत्र को काश्त कर अपना जीवन यापन करते चले आ रहे थे।

भरोसी उर्फ रामजीलाल के एकमात्र पुत्र सायल रहा है तथा गोविन्दराम के कोई पुत्र नहीं था केवल मात्र दो पुत्रियां ही है, इसलिये गोविन्दराम की पुत्रियों की शादी उसने अपने जीवनकाल में कर दी, लेकिन गोविन्दराम की बुजुर्ग[illegible] में उसकी सेवा सायल ने की तथा काश्त की भूमियों पर काबिज [illegible] आ रहा है तथा गोविन्दराम की मृत्यु के उपरांत सायल के द्वारा ही गोविन्दराम की पुत्रियों के भात जा[illegible] की व्यवस्था की जाती रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.04 13:11:31 IST
Reason: SelfAttested

गोविन्द राम की मृत्यु के बाद आराजी मुतजिक्रा मद नम्बर 02 प्रार्थना पत्र पर सायल काबिज व दखील होकर काश्त करता आ रहा था, मगर इस दौरान गोविन्दराम की पुत्री श्रीबाई

पत्नी बन्नू निवासी कटकड़ के खास देवर भूरमल उर्फ चुटीला पुत्र छिग्गी ने तथाकथित किसी फर्जी वसीयत के आधार पर आराजी मुतजिक्रा मद नम्बर 02 प्रार्थना पत्र का नामांतरण नम्बर 76 स्वयं को फर्जी तरीके से श्रीबाई का पति बताते हुए तथाकथित फर्जी वसीयत के आधार पर बसाज राजस्व कर्मचारियों से मिलकर नामांतरण खुलवा लिया, जबकि मौके पर उसका कोई कब्जा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का नहीं रहा, बल्कि मौके पर सायल का कब्जा जमाने बुजुर्गान चला आ रहा था। इसलिये उक्त नामांतरण विधि विरूद्ध व फर्जी दस्तावेज पर आधारित होने से व मुकाबले सायल नल एण्ड वोइड है।

भूरमल उर्फ चुटीला ने दिनांक 02.08.2020 को सायल को उसके घर पर यह धमकी दी कि जमीन का मैने नामांतरण खुलवा लिया है, अब इसे दीगर [illegible] लोगो को बेच दूंगा, जिस पर सायल ने भूरमल उर्फ चुटिला के विरूद्ध एक इस्तगासा न्यायालय एसीजेएम, हिण्डौन नम्बर 01 के यहा दायर किया। जिस पर उक्त इस्तगासा में न्यायालय द्वारा धारा 202 जा0फौ0 में पुलिस थाना सदर हिण्डौन से जांच रिपोर्ट मंगवायी, जिसमें पुलिस थाना द्वारा भी भूरमल उर्फ चुटीला द्वारा गोविन्दराम की उक्त भूमि को फर्जी तरीके से अपने नाम कराना माना और भूमि पर सायल का कब्जा होना माना। इससे भी स्पष्ट है कि आराजी मुतदाविया मुतजिक्रा मद नम्बर 02 प्रार्थना पत्र से भूरमल का कभी कोई संबंध या वास्ता नहीं रहा और आराजी मुतदाविया सायल के ताउ की भूमि होने व सायल ही उसका एकमात्र उत्तराधिकारी होने व भूमि पर विगत 25–30 साल से बेरोकटोक निरंतर अबाध रूप से बिना किसी विघ्नबाधा के भूरमल के इल्म में फसल दर फसल भूमि पर काश्त करते चले आने से भी सायल कब्जा मुखालफाना के आधार पर भी विवादित आराजीयात मुतदाविया की खातेदारी प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी है।

सायल के ताउ गोविन्दराम की दोनो पुत्री श्रीबाई व रूपों तथा उनके पति भी फौत हो चुके हैं तथा सायल ही गोविन्दराम की विरासत का उसके भाई का पुत्र होने से एकमात्र उत्तराधिकारी है और भूमि पर काबिज व दखील होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है।

भूरमल ने यह जानते हुए कि आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 02 प्रार्थना पत्र उसके द्वारा फर्जी तरीके से अपने नाम करायी गयी है, उस पर कभी भी भूरमल का कोई कब्जा नहीं रहा है, बल्कि भूमि पर सायल का कब्जा चला आ रहा है तथा भूरमल द्वारा सायल को उसके कब्जे से महरूम करने के उद्देश्य से विधि विरूद्ध [illegible] व बिना प्रतिफल के खिलाफ कानून आराजी मुतजिक्र मद नम्बर 02 प्रार्थना पत्र [illegible] नुमायशी वयनामा दिनांक 23.12.2021 को गैरसायलान नम्बर 01 के हक में पंजीबृद्ध करा दिया जो पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 416 पृष्ठ संख्या 143 पर क्रम संख्या 20210131120101927 पर पंजीबृद्ध किया गया था अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 1297 के पृष्ठ संख्या 437 से 446 पर चस्पा किया गया। बमुकाबले सायल निम्न आधारो पर नल एण्ड वोइड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.04 13:11:31 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वयनामा में वर्णित भूमि पर विक्रेता भूरमल उर्फ चुटीला का कोई कब्जाकाश्त किसी प्रकार का कभी नहीं रहा, बल्कि उक्त वयनामा में वर्णित भूमि पर सायल विगत 25–30 साल से काबिज व दखील बजमाने बुजुर्गान चला आ रहा है। तथा उक्त तथाकथित वयनामा के माध्यम से कब्जे का कोई अंतरण गैरसायल नम्बर 01 को नहीं हुआ। भूमि पर आज भी सायल का कब्जा बदस्तुर है, इसलिये उक्त वयनामा कब्जे के अभाव में खिलाफ कानून होने से बमुकाबले सायल नल एण्ड वोइड घोषित किये जाने योग्य है।

उक्त तथाकथित वयनामा में वर्णित भूमि विक्रेता द्वारा फर्जी तरीके से प्राप्त की गई, जिसका मुकदमा ज्ञानसिंह बनाम भूरमल अंतर्गत धारा 420 आई0पी0सी0 न्यायालय एसीजेएम–1 हिण्डौन सिटी में विचाराधीन है तथा विवादित भूमि का विक्रेता कानूनन कोई स्वामी (खातेदार) नहीं रहा, बल्कि उक्त भूमि सायल के बुजुर्ग गोविन्दराम की भूमि रही है। जिसका एकमात्र जीवित वारिस सायल होने से उक्त वयनामा खिलाफ कानून होने से नल एण्ड वोईड घोषित किये जाने योग्य है।

तथाकथित वयनामे में गैरसायल नम्बर 01 द्वारा सायल को वयनामे में वर्णित भूमि का कोई प्रतिफल अदा नहीं किया गया है। उक्त वयनामा भूरमल के द्वारा अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व कराया गया था, जिसके कोई प्रतिफल राशि भूरमल के द्वारा गैरसायल नम्बर 01 से प्राप्त नहीं की गयी, ना ही कब्जे का कोई अंतरण किया गया। उक्त वयनामा बिना कब्जे व बिना प्रतिफल के होने से खिलाफ कानून होने के कारण बमुकाबले सायल नल एण्ड वोइड घोषित किये जाने योग्य है।

उक्त तथाकथित विवादित वयनामा भूरमल वहक कमला के पंजीबृद्ध होने के कुछ दिन बाद ही विक्रेता भूरमल उर्फ चुटीला का स्वर्गवास हो गया, जिसके तीये की बैठक में दिनांक 01.01.2022 को सायल ग्राम कटकड गया तो गैरसायल न0 01 ने बताया कि उसने उक्त भूमि की रजिस्ट्री अपने नाम करा ली है और अब वह भूमि पर कब्जा करेगी, जिस पर सायल ने गैरसायल न0 1 से कहा कि जमीन पर मेरा विगत 25–30 साल से कब्जा चला आ रहा है और जमीन गोविन्दराम की होने से तथा मै उसका एकमात्र वारिस होने से व कब्जे के आधार पर जमीन का मालिक हूँ। मैंने भूरमल के उक्त जमीन के फर्जीवाडे के भी मुकदमे कर रखे है, तुमने इस जमीन की रजिस्ट्री गलत करायी है, तुम इसे तहसील या न्यायालय में चलकर कैंसिल कराओ तो इतने में गैरसायल [illegible] सायल से कहा कि जमीन की रजिस्ट्री अब मेरे हक में है, में इसके आधार पर [illegible] लठत के बल पर बेदखल कर कब्जा करूंगी तथा भूमि को [illegible] कर उक्त भूमि का वयनामा उनके हक में पंजीकृत करा दूंगी। मेरा कुछ नहीं बिगाड [illegible]कता। गैरसायल नम्बर 01 समझाने पर भी मानने को तैयार नहीं हुई, जिस पर सायल के द्वारा उक्त तथाकथित वयनामे की दिनांक 11.01.2022 को नकल लेने पर उक्त सम्पूर्ण स्थिति का पता चला। जिस पर सायल के द्वारा दिनांक 13.01.2022 को गैरसायल नम्बर 01 व वयनामे के गवाहान के विरूद्ध न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.04 13:11:31 IST
Reason: SelfAttested

एसीजेजेएम नम्बर–1 हिण्डौन के यहा एक इस्तगासा उनवानी [illegible] बनाम कमला आदि पेश कर दिया, जो जेरे तहकीकात है।

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को दौराने दावा इस अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह स्वयं या किसी अन्य के द्वारा खसरा नं0 60 रकबा 12 ऐयर, 70 रकबा 21 ऐयर, 71 रकबा 24 ऐयर, 82 रकबा 21 ऐयर कुल किता 4 कुल रकबा 78 ऐयर स्थित ग्राम कोटरी तहसील हिण्डौन में सायल के कब्जेकाश्त में कोई मजाहमत मदाखलत ना तो स्वयं पैदा करे, ना ही किसी अन्य से करावे तथा उक्त भूमि से जबरन बेदखल नहीं करे, ना ही किसी अन्य से करावे तथा उक्त भूमि को किसी अन्य दीगर लोगो को रहनबय नहीं करे और ना ही कोई दस्तावेज गैरसायल नम्बर 02 के कार्यालय में पंजीकृत करावे तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करे, जिससे उपरोक्त आराजीयात में सायल के हक हकूक व उपयोग उपभोग में कोई बाधा किसी प्रकार की पहुचे। मौके व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर गैरसायलान 1 ता 3 के विरूद्ध आदेशिका दिनांक 12.05.2022 द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी संवत 2071–74, नकल विक्रय पत्र दिनांक 23.12.2021 पेश किये गये है।

सायलान वकील उपस्थित। सायलान वकील की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण में एकपक्षीय सायलान वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 108 खसरा नं0 60, 70, 71, 82 वाके ग्राम कोटरी तहसील हिण्डौन जिला करौली का अवलोकन किया गया तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि सायलान की दौराने दावा पेचिदगियॉ पैदा नहीं हों, मौके की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में दिनांक 21.01.2022 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि उभयपक्ष विवादित आराजी की मौका एवं रिकॉर्ड की स्थिति ताफैसला बनाये रखें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.04 13:11:31 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 02.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन